दिनाक 27 मई, 2009 के उत्तर प्रदेश असाधारण गज़ट के विधायी परिशिष्ट के भाग–2 के खण्ड (क) में अवश्य प्रकाशित किया जाय।

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायी अनुभाग–1
संख्या– 796/79–1–09–02(क)1/2009
लखनऊः दिनांकः 27 मई,2009

अधिसूचना
विविध

संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय ने निम्नलिखित उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2009 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1 सन् 2009) प्रख्यापित किया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:–

(यहाँ पर नत्थी किया हुआ छापा जाय)

आज्ञा से,

(प्रताप वीरेन्द्र कुशवाहा)
सचिव।

संख्या–796(1)/79–1–09–02(क)1/2009, तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मा0 मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश।
2– मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3– प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, कर एवं निबंधन अनुभाग–2
4– प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश ।
5– प्रमुख सचिव, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश ।
6– सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश।
7– महामहिम श्री राज्यपाल के प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश।
8– विधि परामर्शी पुस्तकालय, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
9– संसदीय कार्य अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
10– भाषा अनुभाग–5, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
11– विधायी अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश सचिवालय।

आज्ञा से,

(अलख नारायण)
विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2009

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्याः 1 सन् 2009)

(भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित)

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 का अग्रतर संशोधन करने के लिए अध्यादेश

चूँकि राज्य विधान–मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब, संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:–

संक्षिप्त नाम

1– (1) यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2009 कहा जाएगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2008 की धारा 2 का संशोधन

2– उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में खण्ड (क छ) में उपखण्ड (दो) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:–

''(तीन) धारा 3–क के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त कर की धनराशि।''

नई धारा 3–क का बढ़ाया जाना

3– मूल अधिनियम की धारा 3 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात्:–

''3–क (1) अतिरिक्त कर का उद्ग्रहण

इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, किन्तु उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के अधीन कर भुगतान का दायी प्रत्येक व्यवहारी, इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों के अधीन संदेय कर के अतिरिक्त माल के विक्रय या क्रय या दोनों के कराधेय आवर्त पर राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ऐसी दर पर जो 5 प्रतिशत से अधिक न हो, अतिरिक्त कर का भुगतान करने का दायी होगा। विभिन्न माल अथवा विभिन्न श्रेणियों के माल के संबंध में अलग–अलग दरें विनिर्दिष्ट की जा सकती हैं।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी अतिरिक्त कर का उद्ग्रहण एवं भुगतान निम्नलिखित पर नहीं किया जाएगा,–

(क) अनुसूची–एक एवं अनुसूची–तीन के स्तम्भ 2 में विर्निदिष्ट माल के यथास्थिति विक्रय या क्रय

या दोनों के आवर्त पर;

(ख) केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 के अधीन अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के लिए विशेष महत्व के रूप में घोषित माल के यथास्थिति विक्रय या क्रय या दोनों के आवर्त पर;

(ग) राज्य सरकार द्वारा धारा 7 के खण्ड (ग) के अधीन जारी अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट व्यवहारी वर्ग द्वारा ऐसा विक्रय या क्रय या ऐसे माल का विक्रय या क्रय।

(3) उपधारा (1) के अधीन भुगतान की गयी धनराशि, धारा 13 के उपबंधों के अनुसार इनपुट टैक्स केडिट के लिए पात्र होगी।

(4) कोई व्यवहारी जो धारा 6 के अधीन कर समाधान की सुविधा का उपभोग कर रहा है, अतिरिक्त कर के संबंध में भी कर समाधान की सुविधा का उपभोग करने का पात्र होगा।

(5) इस धारा के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त कर का उद्ग्रहण, राज्य सरकार द्वारा उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से पॉच वर्ष की अवधि के पश्चात् समाप्त हो जाएगा।''

टी0वी0 राजेस्वर,
राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश